प्रेस विज्ञप्ति

01/03/2024

माननीय विशेष न्यायालय (पी.एम.एल.ए.), चंडीगढ़ ने पंजाब निवासी सुखजिंदर सिंह ढिल्लों पुत्र बलजिंदर सिंह ढिल्लों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पी.एम.एल.ए.), 2002 के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है। माननीय कोर्ट ने सुखजिंदर सिंह ढिल्लों को दोषी पाया और उन्हें दिनांक 29.02.2024 के आदेश के तहत 4 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में सुखजिंदर सिंह ढिल्लों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा दर्ज एफ.आई.आर के आधार पर वर्ष 2010 में जांच शुरू की थी।

ई.डी. की जांच से पता चला कि नशीले पदार्थ के व्यापार से उत्पन्न अपराध की आय को आरोपियों ने अचल संपत्तियों में निवेश किया था, जिसे बाद में ई.डी. ने कुर्क कर दिया था। इसके अलावा, ई.डी. ने वर्ष 2016 में अभियोजन शिकायत दर्ज की। अब, मामले का फैसला माननीय विशेष न्यायालय ने किया है और पी.एम.एल.ए., 2002 के प्रावधानों के तहत सुखजिंदर सिंह ढिल्लों को दोषी ठहराया है।

इसके अलावा उनकी अचल संपत्ति जो पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई थी, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 8(5) के तहत जब्त कर ली गई है।